संख्या 482 / II–2005–01(03) / 2004

प्रेषक,

महावीर सिंह चौहान
अनु सचिव
उत्तरॉचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग, देहरादून, दिनांक, 16 फरवरी 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष–2004–05 के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यांश का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 320 / मु0अ0वि0 / बजट / बी–1– सामान्य दिनांक 28.1.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोजनागत मद त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं हेतु अवमुक्त किये गये केन्द्रांश रू0 104.419 लाख एवं राज्यांश के विपरीत रू0 26.10 लाख अर्थात कुल रूपये 130.519 लाख (रूपये एक करोड तीस लाख इक्यावन हजार नौ सौ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः–

1– योजनाओं का कियान्वयन जनसहभागिता सिंचाई प्रबन्धन Participatory Irrigation mode (PIM) के आधार किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की भारत सरका से स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्गित रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

6– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन / फांट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिं0 वि0 उत्तरांचल द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

7– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाये तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकि का प्रयोग किया जाय।

क्रमशः.....2

MIC – 1163

8– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक भारत सरकार, महालेखाकार उत्तरांचल राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– विभागीय कार्य करने से पूर्व लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकि अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2005 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक आयोजनागत 141–सिंचाई विभाग की नई योजनायें 95–ए0आई0बी0पी0 की सिंचाई योजनायें –00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या– 358 वि0 अनु0–3/2005 दिनांक, 14. 02. 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

482
संख्या– /II–2005–03–(01)/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
3– श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
7– कोषाधिकारी /जिलाधिकारी, देहरादून/नैनीताल, उत्तरांचल ।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल हेतु।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।